न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 365 / 2023

अनवान:–

1. सिलोचना पत्नी जगमोहन पुत्री माडुराम जाति रेगर निवासी जमाल जिला सिरसा हरियाणा।

– **वादी**

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र माडूराम जाति रेगर निवासी वार्ड स0 28 कली भटटा के पास नोहर।
2. हरदयाल पुत्र माडूराम जाति रेगर निवासी वार्ड स0 28 कली भटटा के पास नोहर।
3. वीना पत्नी राजकुमार पुत्र हनुमान जाति रेगर निवासी रविदास नगर वार्ड स0 18 बीआईपी ड़वाली मण्डी पंजाब।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादिया व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा पटवार हल्का सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 121/121 के खसरा न0 284 की 6.5380 हैक्ट भूमि में वादिया का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 7/18 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 7/18 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है तथा उक्त भूमि बाबत वादीया व प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादी स0 3 के पिता स्व0 भगवानाराम के द्वारा कई दशको से अपने हक हिस्सा अनुसार मौखिक पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर काश्त की जा रही है वादी एवं प्रतिवादीगण इसी अनुसार काश्त कर रहे है। इसलिए वादीया अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि एवं सुधारी हुई भूमि के अनुसार प्रतिवादीगण से खाता व लगान अलग करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का वादिया के कब्जा काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग अलग करवा लेवे तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगणक को कोई एतराज नही है। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने उपरोक्त के तथ्य दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा पटवार हल्का सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 121/121 के खसरा न0 284 की 6.5380 हैक्ट भूमि में वादिया का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 7/18 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 7/18 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा पटवार हल्का सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 121/121 के खसरा न0 284 की 6.5380 हैक्ट भूमि में बाबुलाल पुत्र माडूराम हिस्सा 8 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 एसबीआई नोहर, वीना पुत्री भगवानाराम हि0 1/9 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 1/9 एसबीआई शाखा नजदीकी सब्जी मंडी डबवाली, सिलोचना देवी पुत्री माडूराम हि0 1/9 जाति रेगर सा0 नोहर हि0 1/9 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार, हरदयाल पुत्र माडुराम हि0 7/18 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 1/3 एसबीआई नोहर का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 विना पुत्री भगवानाराम हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण एसबीआई शाखा नजदीकी सब्जी मण्डी डबवाली– ख0न0 284/1 की 0.7264 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.7264 हैक्ट बारानी प्रथम

2 सिलोचना देवी पुत्री माडूराम हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार– ख0न0 284/2 रकबा 0.7265 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.7264 हैक्ट बारानी प्रथम

3 बाबूलाल पुत्र माडूराम हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 21793/25425 एसबीआई शाखा नोहर– ख0न0 284/3 रकबा 2.5425 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 2.5425 हैक्ट बारानी प्रथम

4 हरदयाल पुत्र माडूराम हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 21793/25426 एसबीआई शाखा नोहर– ख0न0 284/4 रकबा 2.5426 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 2.5426 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:11 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 365 / 2023
अनवानः–

1. सिलोचना पत्नी जगमोहन पुत्री माडुराम जाति रेगर निवासी जमाल जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम

1. बाबुलाल पुत्र माडूराम जाति रेगर निवासी वार्ड स0 28 कली भटटा के पास नोहर।
2. हरदयाल पुत्र माडूराम जाति रेगर निवासी वार्ड स0 28 कली भटटा के पास नोहर।
3. वीना पत्नी राजकुमार पुत्र हनुमान जाति रेगर निवासी रविदास नगर वार्ड स0 18 बीआईपी ड़वाली मण्डी पंजाब।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 365 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णार्यार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक मेघसिंहपुरा पटवार हल्का सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 121 / 121 के खसरा न0 284 की 6.5380 हैक्ट भूमि में बाबुलाल पुत्र माडूराम हिस्सा 8 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 एसबीआई नोहर, वीना पुत्री भगवानाराम हि0 1/9 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 1/9 एसबीआई शाखा नजदीकी सब्जी मंडी डबवाली, सिलोचना देवी पुत्री माडूराम हि0 1/9 जाति रेगर सा0 नोहर हि0 1/9 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार, हरदयाल पुत्र माडुराम हि0 7/18 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 1/3 एसबीआई नोहर का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 विना पुत्री भगवानाराम हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण एसबीआई शाखा नजदीकी सब्जी मण्डी डबवाली– ख0न0 284/1 की 0.7264 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.7264 हैक्ट बारानी प्रथम

2 सिलोचना देवी पुत्री माडूराम हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार– ख0न0 284/2 रकबा 0.7265 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.7264 हैक्ट बारानी प्रथम

3 बाबूलाल पुत्र माडूराम हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 21793/25425 एसबीआई शाखा नोहर– ख0न0 284/3 रकबा 2.5425 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 2.5425 हैक्ट बारानी प्रथम

4 हरदयाल पुत्र माडूराम हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 21793/25426 एसबीआई शाखा नोहर– ख0न0 284/4 रकबा 2.5426 हैक्ट बारानी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 2.5426 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए [illegible] रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के [illegible] नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.12 16:49:11 IST
Reason: SelfAttested

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 06/11/24 को [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर